



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-194

New Delhi: 04.05.2021

श्री ओमपाल सिंह

पुत्र श्री रामचरन

निवासी ग्राम-क्यौली कलां

तहसील-खुर्जा

जिला-बुलन्दशहर (उ० प्र०)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 24.03.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/ टूंडला, के कार्यालय में दिनांक 24.03.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 30.03.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है:


सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ


04.05.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

(DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED)

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

सं० उ०मु०प०प्र० / अलीगढ़ / आरटीआई / श्रीओमपालसिंह
सेवा में,

दिनांक- 28.04.2021

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / मानव संसाधन
डीएफसीसीआईएल
टूण्डला / आगरा।

विषय: श्री ओमपाल सिंह पुत्र रामचरन, निवासी ग्राम- क्योली कलां, तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ: 1. डीएफसीसीआईएल कार्यालय / मेरठ पत्र सं०- एमटीसी / ईएन / आर०टी०आई० / भाग-7 दिनांक- 16.04.2021
2. उप मु०प०प्र० / मा०संसा० ईमेल दिनांक- 26.04.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री रामचरन, निवासी ग्राम- क्योली कलां, तहसील- खुर्जा जिला- बुलन्दशहर द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना निम्नवत है: -

- 1.0 यह कि प्रार्थी श्री ओमपाल सिंह के ग्राम- क्योली कलां एवं अन्य 05 ग्रामों दोसपुर दादूपुर, नायसर, डॉबर, सरावा दादूपुर एवं नगलाकट तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर के काश्तकारों की भूमि नये भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिनिर्णय दिनांक 30.06.2017 के अनुसार प्रतिकर वितरण उपरान्त पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति के तहत पुर्नवास सहायता राशि सक्षम प्राधिकारी/मुख्य महाप्रबन्धक/टूण्डला द्वारा प्रति गाटावार 5 लाख रुपये सभी सहखातेदारों को बराबर-बराबर भाग अनुसार धनराशि दिनांक 07.01.2020 को स्वीकृत की गई है। तदनुसार मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ कार्यालय से वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके लिये अधिकांश काश्तकारों द्वारा धनराशि प्राप्त करने हेतु पत्रावली जमा कर दिये गये हैं। यह धनराशि 4 गुना प्रतिकर से अतिरिक्त है। उक्त भूमि रोड अण्डरपास निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई है।
- 2.0 इस बिन्दु की सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि मुख्य महाप्रबन्धक/टूण्डला से सम्बन्धित नहीं है।
- 3.0 इस बिन्दु की सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि मुख्य महाप्रबन्धक/टूण्डला से सम्बन्धित नहीं है।
- 4.0 यह कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के सहखातेदारों के गाटा सं० 1202 श्री सुशील कुमार आदि को सक्षम प्राधिकारी/मुख्य महाप्रबन्धक टूण्डला द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत माइक्रोप्लान के अनुसार पुर्नवास सहायता धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक/मेरठ के स्तर से वितरित की जा रही है। नये भू-अर्जन अधिनियम - 2013 पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2015 के अन्तर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर विशेष रेल परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित व्यक्तियों हेतु अधिकृत मौलिक पात्रता के अन्तर्गत पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना के तहत देय सहायता राशि एकमुश्त धनराशि 5 लाख रुपये (आजीविका नुकसान की क्षतिपूर्ति) हेतु प्रति गाटे में समान



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

(DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED)

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

हिस्से के अनुसार मुख्य महाप्रबन्धक टूण्डला द्वारा दिनांक 07.01.2020 को स्वीकृत माइक्रोप्लान के अनुसार सहायता राशि वितरित की जा रही है। गाटे के प्रत्येक हिस्सेदार को रु0 5-5 लाख धनराशि दिये जाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राविधानित नहीं है।

यह आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: स्वीकृत पॉलिसी क्रमांक- 4.0 के अनुसार।

ML 28/04/21
(जे०के० सिंह)

परियोजना प्रबन्धक / इंजी०
डीएफसीसीआईएल / अलीगढ़।


Meeting held at CGM/Tundla office on 29.09.15

Present Officials:

Shri Atul B. Khare, CGM/Tundla
Shri B.S. Jaryal, Dy. CPM/Engg./CNB
Shri Sarvesh Kumar, PM/Fin./TDL
Shri S.K. Mohanty, Dy. Pm/Engg./TDL
Shri Suresh Singh, Dy. PM/Fin./TDL
Shri Suryansh Gupta, APM/Engg./CNB
Shri Pankaj Kumar, Sr.Executive/Engg./ETW

Following items were discussed and deliberated:-

S. No.	Items	Action Required by
1	The cutoff date for payment of Rs.5 lakhs as livehood assistance should be considered as the date of notification of 20A publish on or after 01.01.2015.	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
2	In case of direct purchase the cutoff date should be considered as the date of approval from concern DM.	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
3	Rs. 5.00 lacs should be paid as Rs. 5.00 lacs /Gata	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
4	This 5.00 lacs amount should be equally distributed in all shareholders of gata. As per 20A/20E notification [Not as per share].	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
5	Rs. 5.00 lacs payment to be discussed to those PAPs whole agricultural land has been acquired only. Abade residential plots/NTH will be not be entitled for the benefit of Rs. 5 lacs.	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
6	One time settlement amount/any other extra amount previously paid to the PAPs should be deducted from Rs. 5.00 Lacs amount (For which PAPs is not eligible)	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
7	There is no need to issue new C.C forms again where RTGS details are available . New C.C forms will be made and verified by concern Sr. Exe/APM/DPM with enclosure of old C.C forms for record purpose only.	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.
8	If no RTGS details are available, then D.D may be issued.	Dy. CPM/Engg./ALJN, Dy. CPM/Engg./CNB and GM/Civil/TDL and PM/Fin./TDL.


(Atul B. Khare)
Chief General Manager
DFCCIL/Tundla

Copy to: Dy. CPM/Engg./ALJN & CNB, GM/Civil/Tundla and PM/Fin./TDL for information and necessary action.